*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/गै०यो०–19–03/2012 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत कुल 04 नगर प्रबंधकों को प्रति माह ₹40,000.00 (चालीस हजार रु०) मात्र की दर से 03 माह के मानदेय की राशि के भुगतान हेतु कुल ₹4.80000 लाख (चार लाख अस्सी हजार रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत नगर प्रबंधकों को वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय कार्यालय आदेश सं०– 89–सह–पठित ज्ञापांक– 1084, दिनांक– 13.02.2019 के आलोक में प्रति माह ₹40,000.00 (चालीस हजार रु०) मात्र की दर से विभागीय राज्यादेश सं०– 26, दिनांक– 26.06.2019 के द्वारा 03 माह का मानदेय एवं राज्यादेश सं०– 77, दिनांक– 13.09.2019 के द्वारा 06 माह मानदेय आवंटित की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 में अवशेष 03 माह के मानदेय की राशि कुल ₹4.80000 लाख (चार लाख अस्सी हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :–

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	एक माह का मानदेय	पूर्व में आवंटित मानदेय की कुल माह की संख्या	मानदेय दिये जाने की शेष माह की संख्या	स्वीकृत मानदेय की राशि (4 X 6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर निगम, बिहारशरीफ	1	40,000.00	9	3	1,20,000.00
2	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	1	40,000.00	9	3	1,20,000.00
3	नगर निगम, मुंगेर	1	40,000.00	9	3	1,20,000.00
4	नगर निगम, दरभंगा	1	40,000.00	9	3	1,20,000.00
	कुल योग	4	**1,60,000.00**	9	3	**4,80,000.00**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹4.80000 लाख (चार लाख अस्सी हजार रु०) मात्र।

2. विभागीय आदेश सं०– 1335, दिनांक– 27.02.2017 द्वारा नगर प्रबंधकों के मासिक मानदेय को ₹30,300.00 (तीस हजार तीन सौ रु०) से बढ़ाकर ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सतर रु०) किया गया था। पुनः विभागीय कार्यालय आदेश सं०– 89–सह–पठित ज्ञापांक– 1084, दिनांक– 13.02.2019 द्वारा नगर प्रबंधकों का मासिक मानदेय ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सतर रु०) से बढ़ाकर ₹40,000.00 (चालीस हजार रु०) किया गया है। बढ़े हुए दर से मानदेय का भुगतान फरवरी, 2019 से किया जा रहा है।

3. **स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निगमों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।***

4. **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. उक्त स्वीकृत राशि ₹4.80000 लाख (चार लाख अस्सी हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघु शीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष– 0015–नगर प्रबंधको हेतु. विपत्र कोड सं०– **48-2217801910015,** विषय शीर्ष– 015.31.04–सहायक अनुदान–वेतन से की जाएगी।

8. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा ।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/गै०यो०–19–03/2012 के पृष्ठ सं०–181/टि० पर दिनांक–24.2.20 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–183/टि० पर दिनांक–26.2.20 को प्राप्त है ।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/गै०यो०–19–03/2012 231 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–02/03/2020

प्रतिलिपिः– संबंधित जिला पदाधिकारी/सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/नगर प्रबंधक, संबंधित नगर निकाय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई0मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

28.02.2020

सरकार के विशेष सचिव।